फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर मु0 जयपुर

बंशीलाल बनाम गुलाबराम

STA

केस संख्या : 30/23

केस संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	दि
	24 6/25	पत्रावली प्रस्तुत / व.फ.उप. / इंतजार कुरैवात हेतु दिनांक 9 7/25 को पेश हो। सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर	
	9 7/25	पत्रावली प्रस्तुत / व.फ.उप. / इंतजार कुरैवात हेतु दिनांक 23/7/25 को पेश हो। सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर	
फर्द रिपोर्ट 22/7/2025	23 7/25	पत्रावली प्रस्तुत / व.फ.उप. / फर्द मौका रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है वास्ते बहस दिनांक 31 7/25 को पेश हो। सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर	
	31 7/25	पत्रावली प्रस्तुत / व.फ.उप. / उपपंजीयक आ.ता. पेशी पर आवश्यकरूप से बहस करें पत्रावली दिनांक 4 8/25 को पेश हो। सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर	
	4 8/25	पत्रावली प्रस्तुत / व.फ.उप. / बहस रिपोर्ट सुनी गई। उपपंजीयक द्वारा तहसीलदार रामपुरा-डाबड़ी को प्रा.पत्र प्रस्तुत किया है कि वह जप्तशुदा खानों का बंदोबस्त करवाना चाहते है परन्तु वादी के ऐसा कोई प्रार्थना-पत्र एवं दावे अन्य दोष की प्रतिपेक्षा नहीं की है [illegible] को अधिक समय तक [illegible] अतः रिपोर्ट के आधार पर वाद खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर	

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.08.29 14:14:40 IST
Reason: SelfAttested